तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./771/2005/ बारां</u>** **श्री अमरलाल व अन्य बनाम श्री देवी लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ

श्री धूकलराम कसवाँ सदस्य

उपस्थित

श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थी

<u>निर्णय</u>

दिनांकः– 16–8–2018

यह निगरानी उपखण्ड अधिकारी छबडा के आदेश दिनांक 7–11–04 के विरूद्ध राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि पक्षकारों के मध्य नियमित वाद विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। दौराने वाद प्रकरण में निर्धारित तारीख पेशी से पूर्व अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी पर अनाधिकृत अतिक्रमण करना मानते हुये उक्त अतिक्रमण को समाप्त करने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को आदेशित किया। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई। अप्रार्थी पक्ष बाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जब प्रार्थना पत्र को दर्ज कर लिया और प्रार्थीगण को तलब करने के आदेश पारित कर दिये,जिस पर प्रार्थीगण उपस्थित भी आ गये और आगामी पेशी दिनांक22–11–04 वास्ते जबाब अप्रार्थीगण नियत भी कर दी गई तब बिना प्रार्थी को सुने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाते हुये आक्षेपित आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर कोई नया निर्माण नहीं किया है जबकि उक्त खसरा नम्बर 418 रकबा 2विस्वा में अपने पिता के समय से ही आबाद रह रहा है। ऐसे में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./771/2005/ बारां</u>** **श्री अमरलाल व अन्य बनाम श्री देवी लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बिना किसी आधार के एकतरफा में मौका देखे बिना इस तरह का आदेश पारित करना न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद अधिनियम की धारा 188,183,92 ए के अन्तर्गत पेश कर रखा है जो लम्बित है। उक्त वाद में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2ए सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की आराजी पर निर्माण कार्य कर रहे हैं इसलिये अप्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की जावे। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा किये गये निर्माण को उन्ही के खर्चे पर हटाया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं पीठासीन अधिकारी ने मौका निरीक्षण कर अतिक्रमण समाप्त करने हेतु सम्बन्धित थानाधिकारी को आदेशित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है न्यायिक आदेश नहीं है जिसके विरूद्ध मण्डल के समक्ष निगरानी पोषनीय नहीं होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)

सदस्य

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./771/2005/ बारां</u>** **श्री अमरलाल व अन्य बनाम श्री देवी लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

तारीख़ हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./771/2005/ बारां</u>** **श्री अमरलाल व अन्य बनाम श्री देवी लाल व अन्य**	नम्बर व तारीख़ अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए